04.11.2025 डिक्रीदार द्वारा श्री शाकीर खान अधिवक्ता उपस्थित।

मदयून अनुपस्थित।

प्रकरण उचित आदेशार्थ हेतु नियत है।

प्रकरण कुर्की वारंट की रिपोर्ट हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण में डिक्रीदार की ओर से एक आवेदन पत्र मोटर यान अधिनियम की धारा 174 के अन्तर्गत हस्तगत प्रकरण में आर. आर.सी.जारी करने का प्रस्तुत किया है।

04.11.2025 निष्पादन आवेदन अवार्ड दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के अंदर पेश किया गया है।

उक्त प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा जारी अवार्ड के निष्पादन से संबंधित है व अवार्ड राशि आदेश 21 सी.पी.सी. में वर्णित प्रकिया के अलावा धारा–174 एम. व्ही.एक्ट के तहत भू–राजस्व की तरह वसूली योग्य है।

निष्पादन के प्रभावी किन्यावयन हेतु धारा–174 एम. व्ही.एक्ट के अनुसार वसूली योग्य कार्यवाही करना न्यायोचित पाया जाता है।

04.11.2025 प्रकरण में डिक्रीदार द्वारा मदयून का पता रमेश पिता फुलसिह निवासी ग्राम जामला अंकित कर निष्पादन पेश किया गया है।

अतः मदयून के ग्राम रमेश पिता फुलसिह निवासी जामला के पते पर राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रकरण में अवार्ड दिनांक 12.03.2019 को पारित किया गया है जिसमें डिक्रीदार को 7,58,500/– रूपये प्रदाय किए जाने का आदेश दिया गया है।

04.11.2025 मदयून द्वारा उक्त अवार्ड अनुसार राशि अदा नहीं की गई है। अतः उक्त अवार्ड राशि 7,58,500/–रूपये पर दावा आवेदन प्रस्तुति दिनांक 02.05.2018 से वसूली दिनांक तक 7.5 की प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वसूल किए जाने हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर धार के नाम से जारी किया जावें। प्रमाण पत्र साधारण डाक के साथ ई–मेल

Scanned with OKEN Scanner

के माध्यम से भी प्रेषित किया जावें। प्रमाण पत्र की एक प्रति डिकीदार को भी प्रदाय की जावे।

जिला कलेक्टर धार द्वारा वसूल कर अधिकरण में जमा किए जाने पर डिकीदार को राशि अदायगी संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण में उक्त राशि वसूली तक अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः सांख्यिकी प्रयोजन से प्रकरण समाप्त किया जाता है।

उक्त पत्रावली सुरक्षित रखे जाने की टीप अंकित कर पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

(डॉ.(श्रीमती)आरती शुक्ला पाण्डेय)
सदस्य प्रथम मो0दु0दावा अधि0
कुक्षी जिला–धार म.प्र.।

Scanned with OKEN Scanner